क्रमांक 22/76/2011–1जी0एस0111

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष।
2. आयुक्त, अम्बाला,हिसार,रोहतक एवं गुडगावां मण्डल ।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ,चण्डीगढ।
4. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त।

दिनांक, चण्डीगढ 12-11-2012

विषयः– केन्द्रीय सरकार की नौकरियों हेतू केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी प्रोफार्मा अनुसार अनुसूचितजाति तथा पिछडा वर्ग व अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारो को जाति प्रमाण पत्र जारी करने बारे ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 22/76/2012–1जी0 एस0 III, दिनांक 22–3–2012 तथा क्रमांक 22/76/2011–1जी0 एस0 III दिनाकं 12–6–2012 की ओर दिलाऊं जिस द्वारा राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति, पिछडे वर्ग एवं अन्य पिछडे वर्ग के कर्मचारियों/व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतू हिदायतें/प्रपत्र जारी किये गये थे।

2. अब कई जिलाधीशो द्वारा सरकार के ध्यान में यह लाया है कि केन्द्रीय सरकार में नौकरी के लिए आवेदित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र स्वीकार नही किये जा रहे है। तदानुसार सरकार ने मामले का निरीक्षण करते हुए यह निर्णय लिया है कि यदि केन्द्रीय सरकार में नौकरियों हेतु कोई व्यक्ति अन्य पिछडा वर्ग व अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की मांग केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी प्रोफार्मा अनुसार मागं करता है तो पूर्व मे जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अन्य पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। उक्त प्रमाण पत्र केवल हरियाणा के मूल निवासियों को ही जारी किए जाएं।

कृपया इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए ।

भवदीय

विशेष सचिव,सामान्य प्रशासन
कृतेः मुख्य सचिव,हरियाणा सरकार।
21/12/2012

इसकी एक–एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवो एवं प्रधान सचिवों तथा प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

विशेष सचिव,सामान्य प्रशासन
कृतेः मुख्य सचिव,हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव तथा प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा0कमांक 22/76/2011–1जी0एस0111 **दिनांक** 12-11-2012

इसकी एक–एक प्रति मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव–।/अतिरिक्त प्रधान सचिव–।।/उप प्रधान सचिव/ प्रंधान विशेष कार्याधिकारी, विशेष कार्यधिकारी तथा मुख्य मंत्री/मंत्रीयों के सचिवों/ निजि सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

विशेष सचिव,सामान्य प्रशासन
कृतेः मुख्य सचिव,हरियाणा सरकार।
31/10/2012

सेवा में

मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव–।/अतिरिक्त प्रधान सचिव–।।/उप प्रधान सचिव/ प्रंधान विशेष कार्याधिकारी , विशेष कार्यधिकारी तथा मुख्य मंत्री/मंत्रीयों के सचिवों/ निजि सचिव।

अशा0 कमांक 22/76/2011–1जी0एस0111 **दिनांक** 12-11-2012
पृष्ठाकन कमाकं 22/76/2011–1जी0एस0III **दिनाकं** 12-11-2012

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:–

1 सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकुला
2 सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकुला
3 प्राचार्य, हरियाणा लोक प्रशिक्षण सस्थान (HIPA)सैक्टर 26 पचकुंला

विशेष सचिव,सामान्य प्रशासन
कृतेः मुख्य सचिव,हरियाणा सरकार।
31/10/2012

<u>आन्तरिक वितरण</u>

राज्य सूचना अधिकारी,एन0आई0सी0 हरियाणा सिविल सचिवालय–मुख्य सचिव की वैब साईट पर host करने हेतु ।